विविधपत्र सं. 2/2017 धारा 5 म्याद अधि. पोसीदेवी v/s कान्तीलाल

के संलग्न प्रार्थनापत्र व अपीली सं. 2 से 11 तक का गहनतापूर्वक अध्ययन कर इस पर मनन किया। सम्पूर्ण प्रकरण के विवेचन के उपरान्त यह पाया कि अपीलार्थी महिला अनपढ़ व दूसरे ग्रामीणों पर आश्रित होने से न्यायालय की प्रक्रिया से अनभिज्ञ होना स्वाभाविक है क्योंकि इस प्रकरण में अपीलार्थी महिला ने दि. 2.3.2017 को पटवारी हल्का खालवा से इम्बंदी की नकल मांगे जाने पर ज्ञात हुआ कि उनका नाम राजस्व रेकर्ड में नामान्तकरण के जरिये दर्ज नहीं हुआ है जिससे अपीलार्थी ने अपने अधिवक्ता के मार्फत नामान्तकरण आधार होने बाबत भू-अभि. कार्यालय सिरोही से नामान्तकरण पंजिका की नकल दिनांक 8.3.2017 को प्राप्त की जिसे पढ़वाने पर अपीलार्थी दूसरे ग्रामीण महिला से पढ़वाने पर ज्ञात हुआ कि कपाड़ी पुत्र की पहली शादी ज्ञात हुआ कि कपाड़ी की मृत्यु होने के पश्चात कपाड़ी के पुत्र रेस्पोंडेन्ट सं. 12 गोपीयां का ही नामान्तकरण संख्या 242 दि. 27.4.1976 के जरिये अंकित हुआ है और कपाड़ी की पुत्री पोसीदेवी (अपीलार्थी) का नाम अदनियतिपूर्वक तरीके से राजस्व रेकर्ड में बतौर उत्तराधिकारी अंकित नहीं हुआ है उपरोक्त सभी के आधार पर अपीलार्थी अनपढ़ महिला ग्रामीण होने से न्यायालय की प्रक्रिया से अनभिज्ञ है अपीलार्थी ने अपीलपेश करने में कोई लापरवाही नहीं बरती है इसलिये दि. 27.4.1976 से दि. 2.3.2017 तक का समय अपीलार्थी के अज्ञानता व नामान्तकरण सं. 242 की जानकारी के अभाव में निकला है जो क्षमा योग्य है अतः उपरोक्त सभी के आधार पर प्रार्थीय प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम विलम्ब अपीलार्थी स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है तथा अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील की अवधि दि. 27.4.1976 से दिनांक 2.3.2017 की समयावधि को क्षमा करते हुये अपील को समय म्याद लेने का आदेश दिया जाता है। पक्षकार अपने खर्चा स्वयं वहन करेंगे। मुख्य सेवा केन्द्र खालवा में मुकदमे का फैसला हस्ताक्षर होकर सुनाया जाकर पत्रावली फैसल शुमार की जावे।

उपखण्ड अधिकारी
सिरोही (राज.) 307001